रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2011/चैत्र 9, 1933
No. 62] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2011/CHAITRA 9, 1933

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2011

सं. एल-7/145(160)/2008-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009, जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल विनियम'' कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 3 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (25) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

'(25) "उपयोक्ता" से, यथास्थिति, ऐसी उत्पादन कंपनियां, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, क्रेता, विक्रेता तथा अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है जो अंतर–राज्यिक पारेषण नेटवर्क या सहबद्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों की सेवाएं लेते हैं।

टिप्पणः उत्पादन केन्द्र या उत्पादन केन्द्र के प्रत्येक ऐसे प्रक्रम, जहां उनके प्रत्येक प्रक्रम के लिए अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन पृथक् रूप से किया जाता है, को विनियम 23 के अनुसार बाजार प्रचालन प्रभार की भागीदारी के प्रयोजन के लिए तथा इन विनियमों के विनियम 24 के अनुसार, रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने के लिए उपयोक्ता के लिए विचार किया जाएगा।'

3. **विनियम 5 का संशोधनः–** मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (4), खंड (5) तथा खंड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:

"(4) जहां ट्रयूंग–अप करने के पश्चात् वसूले गए प्रभार इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभार से अधिक होते हैं वहां ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी इस प्रकार वसूली गई अधिक रकम को इस विनियम के परंतुक में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ उपयोक्ता को लौटाएगी।

(5) जहां ट्रयूंग–अप करने के पश्चात्, वसूले गए प्रभार इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों से कम हो वहां ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी इस प्रकार वसूली गई रकम को उपयोक्ता से इस विनियम के परंतुक में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ वसूलेगी।

(6) इस विनियम के परंतुक में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ कम या अधिक वसूली गई रकम को, ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी द्वारा छह बराबर मासिक किस्तों, जो ट्रयूंग–अप अभ्यास करने के पश्चात् आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर प्रारंभ होगी, में वसूला जाएगा या उसका प्रतिदाय किया जाएगाः

परंतु यह कि इस विनियम के खंड (4), खंड (5) तथा खंड (6) के लिए साधारण ब्याज की संगणना करने हेतु ब्याज की दर पर निम्नानुसार विचार किया जाएगाः–

(i) वर्ष 2009–10 के लिए 1.4.2009 को एसबीआई अल्पकालिक प्राइम उधार दर;

(ii) 1.7.2010 को एसबीआई आधार दर प्लस वर्ष 2010–11 के लिए 350 बेसेस प्वाइंट;

(iii) 1.7.2010 से 31.3.2010 तक मासिक औसत एसबीआई आधार दर प्लस वर्ष 2011–12 के लिए 350 बेसेस प्वाइंट;

(iv) पूर्व वर्ष के दौरान मासिक औसत एसबीआई आधार दर प्लस वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के लिए 350 बेसेस प्वाइंट्सः

परंतु यह और कि उन मामलों में, जहां प्रभारों का पहले ही अवधारण इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख को किया गया हो, वहां उपरोक्त उपबंधों को ट्रयूंग–अप के समय प्रभावी किया जाएगा।"

4. **विनियम 15 का संशोधन**: मूल विनियम के विनियम 15 के अंत में, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(4) प्रज्ञावान जांच के पश्चात्, वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के मद्दे वास्तविक व्यय 2009–10 से 2013–14 के दौरान परिनिर्धारित प्रचालन तथा रखरखाव खर्चों पर किया जाएगा।"

5. **विनियम 16 का संशोधन**: मूल विनियम के विनियम 16 के खंड (2) तथा खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"(2) वर्ष 2004–05 से 2008–09 तक के लिए प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों में, प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् 2008–09 की मूल स्तर पर प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों को परिनिर्धारित करने के लिए तथा तत्पश्चात् 2008–09 कीमत स्तर पर 2004–05 से 2008–09 तक के लिए प्रसामान्यीकृत औसत मानव संसाधन खर्चों को परिनिर्धारित करने हेतु औसतन 5.17% तक की दर से वृद्वि की जाएगी। वर्ष 2009–10 के लिए मानव संसाधन खर्चों को परिनिर्धारित करने के लिए 2008–09 कीमत स्तर पर औसत प्रसामान्यीकृत मानव संसाधन खर्चों में 5.72% की दर पर वृद्वि की जाएगी:

परंतु यह और कि नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष में कर्मचारियों में प्रत्याशित वृद्वि लागत पर भी प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

(3) वर्ष 2009–10 के लिए मानव संसाधन खर्चों में नियंत्रण अवधि के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञेय मानव संसाधन खर्चों को परिनिर्धारित करने के लिए प्रति वर्ष 5.72% की दर पर और वृद्वि की जाएगी।"

6. **विनियम 17 का संशोधन**: मूल विनियम के विनियम 17 के खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:–

"(2) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी तथ उस पर निम्नलिखित के अनुसार विचार किया जाएगा, अर्थात:–

(i) वर्ष 2009–10 के लिए 1.4.2009 को एसबीआई प्राइम उधार दर;

(ii) वर्ष 2010–11 के लिए 1.7.2010 को एसबीआई उधार दर प्लस वर्ष 2010–11 के लिए 350 बेसिस प्वाइंट;

(iii) 1.7.2010 से 31.3.2011 तक मासिक औसत एसबीआई आधार दर प्लस वर्ष 2011–12 के लिए 350 बेसिस प्वाइंट;

(iv) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मासिक औसत एसबीआई आधार दर प्लस वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के लिए 350 बेसेस प्वाइंट्स।"

7. **परिशिष्ट 1 प्ररूप 2 का संशोधन**: मूल विनियम के प्ररूप 2 में; "........भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य उधार दर" शब्दों के स्थान पर "........को मुख्य उधार दर/एसबीआई की आधार दर" शब्द रखे जाएंगे।

8. **परिशिष्ट 1 प्ररूप 4 ख का संशोधन**: मूल विनियम के प्ररूप 4 ख के पाद टिप्पण में, "उत्पादन कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "ऊर्जा प्रणाली प्रचालन कंपनी" शब्द रखे जाएंगे।

9. **परिशिष्ट 2 का संशोधन**: मूल विनियम के परिशिष्ट 2 में, "विनियम के खंड (7) के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, "विनियम 4 के खंड (7) के अनुसरण में प्रकाशित किए जाने हेतु" शब्द तथा अंक रखे जाएंगे।

10. **परिशिष्ट 3 का संशोधन**: मूल विनियम के परिशिष्ट 3 में, निम्नलिखित क्रम संख्यांकों के सामने अवक्षयण दरों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"क्रम सं.	आस्ति की विशिष्टियां	अवक्षयण दर
ग	....	
(क)	....	
(i)	कार्यालय तथा आवासीय	3.34%
(ii)	....	
(iii)	अस्थायी संनिर्माण जैसे लकड़ी से बनी संरचना	100%
(iv)	कच्ची सड़क से भिन्न सड़कें	3.34%
(v)	अन्य	3.34%"

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 186 में तारीख 26 सितम्बर, 2009 में प्रकाशित किए गए थे ।